



सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

सिटिंग नोटिस

फा. सं.: NCST/DEV-4830/MH/6/2025-RU-I

दिनांक: 03.06.2025

श्री राहुल कर्डिले,
कलेक्टर, नांदेड़,
जिला कलेक्टर कार्यालय,
बीएसएनएल कार्यालय के पास,
वजीराबाद, नांदेड़ - 431601, महाराष्ट्र,
ई-मेल: collector.nanded@maharashtra.gov.in

श्री लोकेश विश्वाई,
मंडल रेल प्रबंधक, हैदराबाद,
कार्यालय मंडल रेल प्रबंधक,
प्रथम तल, हैदराबाद भवन,
रेल निलयम के सामने,
सिकंदराबाद-500071, हैदराबाद,
ई-मेल: drm@hyb.railnet.gov.in

श्री प्रदीप कांबले,
अपर मंडल रेल प्रबंधक, नांदेड़,
अपर मंडल रेल प्रबंधक का कार्यालय
रेल विकास सदन, नांदेड़ प्रभाग,
संघवी नाका, एयरपोर्ट रोड,
नांदेड़-431605, महाराष्ट्र.
ई-मेल: adrm@ned.railnet.gov.in

विषय: रोड नंबर MDR-7, 0/0, 0/12, किनवट, महाराष्ट्र में स्थित रेल्वे क्रॉसिंग गेट की चौड़ाई बढ़ाए जाने के संबंध में श्री भीमराव भीमाई रामजी केराम, आमदार, 83, किनवट-माहुर विधानसभा मतदार संघ, राजगृह निवास, राजेंद्र नगर, किनवट, तालुका-किनवट, जिला-नांदेड़, महाराष्ट्र-431804 का दिनांक 07.04.2025 का अभ्यावेदन।

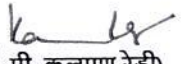
संदर्भ 1: आयोग का समसंख्यक नोटिस दिनांक 08.04.2025 (प्रति संलग्न).

महोदय/महोदया,

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एन.सी.एस.टी.) ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 क के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में उक्त उल्लिखित प्रकरण का अन्वेषण करने का निश्चय किया है। श्री अंतर सिंह आर्य, माननीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने इस प्रकरण में अन्वेषण/जांच की जाने वाली कार्यवाही के लिए नई दिल्ली स्थित आयोग के न्यायालय कक्ष, छठी मंजिल, लोकनायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली में दिनांक 17.06.2025 को दोपहर पश्चात सिटिंग निर्धारित की है।

2. तदनुसार, आपसे अनुरोध है कि कृपया उक्त निर्धारित तिथि एवं समय पर उक्त मामले से संबंधित संपूर्ण तथ्यों एवं सभी संगत मूल अभिलेखों/दस्तावेजों के साथ व्यक्तिगत रूप से और माननीय अध्यक्ष के समक्ष परीक्षण के लिए उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

3. कृपया ध्यान रखें कि यदि आप बैठक में उपस्थित नहीं होते/होती है तो आयोग के समक्ष आपकी उपस्थिति को बाध्यकारी बनाने के लिए, आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 क के खंड (8) क के अधीन प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र है।


(डॉ. पी. कल्याण रेड्डी)
निदेशक

E-Mail: rk.dubey@ncst.nic.in
Tel: No. 011-20819839

प्रतिलिपि सूचनार्थ:-

श्री भीमराव भीमाई रामजी केराम,
आमदार, 83, किनवट-माहुर विधानसभा मतदार संघ,
राजगृह निवास, राजेंद्र नगर, किनवट,
तालुका-किनवट, जिला-नांदेड़, महाराष्ट्र-431804
कृपया उपरोक्त स्थान, समय एवं तिथि पर सुनवाई हेतु आयोग में
आपकी/अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करें।